भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2333

सोमवार, 1 अगस्त, 2022/10 श्रावण, 1944 (शक)

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना

2333. डॉ. आलोक कुमार सुमन:
श्रीमती गीता कोडा:
श्री दिलेश्वर कामैत:
श्रीमती नवनित रवि राणा:
श्री जी. एम. सिद्देश्वर:
श्री जुगल किशोर शर्मा:
श्री चन्दन सिंह:
श्रीमती रीती पाठक:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत चार वर्षों के दौरान बिहार में विशेष रूप से गोपालगंज जिले में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम) के तहत पंजीकृत असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान पंजीकृत लाभार्थियों को संवितरित की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा निधि प्रबंधक होने के नाते भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को प्रदान किया गया अंशदान और उसे जारी की गई निधि बिहार के असंगठित क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पीएम-एसवाईएम पेंशन योजना के तहत और अधिक मजदूरों को शामिल करने और व्यापक स्वीकृत के लिए अतिरिक्त लाभ/प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु कोई योजना उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या पीएम-एसवाईएम योजना के तहत सरकार हर महीने कर्मचारियों के पेंशन खाते में बराबर का हिस्सा जमा करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या पीएम-एसवाईएम योजना के तहत औसत मासिक नामांकन में भारी गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): दिनांक 22.07.2022 की स्थिति के अनुसार, असंगठित क्षेत्र के कुल 2,12,946 कामगारों को बिहार राज्य में प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम - एसवाईएम) स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। गोपालगंज जिले में कुल 6,521 कामगारों को पंजीकृत किया गया है।

जारी/-2

(ख): पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत आवंटित निधि और किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

वर्ष	**आवंटित निधि**	**व्यय**
2019-20	408.00	359.95
2020-21	330.00	319.71
2021-22	350.00	324.23

(ग): जी, नहीं। निधि प्रबंधक होने के नाते भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)को सरकारी अंशदान हेतु आवंटित की गई राशि, बिहार के असंगठित क्षेत्र के लिए पर्याप्त है।

(घ): प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के लाभों को विस्तारित करने के लिए सरकार ने डोनेट-ए-पेंशन पहल आरंभ की है जिसके अंतर्गत व्यक्ति/नियोक्ता अपने घर अथवा संस्थान के वर्तमान सहायक कर्मचारियों जैसे घरेलू कामगार, ड्राइवर, सहायक, देखभाल करने वालों, नर्स अथवा 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के कोई भी अन्य पात्र असंगठित कामगारों के लिए प्रीमियम अंशदान का दान कर सकते हैं ताकि उन्हें पीएम-एसवाईएम पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान किया जा सके। दानकर्ता न्यूनतम एक वर्ष के अंशदान का भुगतान कर सकता है। लाभार्थी की आयु के आधार पर एक वर्ष के दान की राशि न्यूनतम 660/- रु. और अधिकतम 2400/- रु. है। व्यक्ति/नियोक्ता https://maandhan.in/ पर अथवा निकटतम सामान्य सेवा केंद्र जाकर दान कर सकते हैं।

(ङ): जी, हां। भारत सरकार इस योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से प्रति माह कामगारों के पेंशन खाते में समान अंशदान जमा करती है। व्यक्ति की प्रवेश-आयु के आधार पर मासिक अंशदान 55/- रु. से 200/- रु. तक होता है।

(च): पीएम-एसवाईएम एक स्वैच्छिक योजना है। इसके अलावा, महामारी के प्रकोप के कारण पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत नए नामांकन में कमी आई है।

****